

मुकदमा नंबर 00180 सन्. 2014

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख अहकाम
जो इस हुक्म
की तामील
में जारी हुए

तारीख
हुक्म

19/6/18

वकील प्राची उपस्थित। प्रार्थन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस चुनी गई। वकील प्राची ने तर्क रहे कि उससे हिस्से की आरज़ी के प्रतिवादी से 15 फीस व्यक्तिके के बेचन पर आज्ञा दी परीकार सरकार उपस्थित उनका निवेदन था कि यदि कोई सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि को बेचन चाहे तो उसे बेचने से रोक नहीं जा सकता यदि क्वार्टर आरज़ी संपुम्त खातेदारी की भूमि है तो किसी सह खातेदार के क्वार्टर निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यदि एक प्रतिवादी से 15 दिवस आरज़ी में सह खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी न्यायसिद्धान्तानुसार किसी सह खातेदार के क्वार्टर निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती ताब फ्र में रिट पर तय किया जाना है। वर्तमान स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इतने प्रार्थन पत्र प्राची खातीर किया जाना है। मामल फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कर हो। बाद फ़ैसल करिवल हो।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं महायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

